



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeofrolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/यू.पी./06/26/2018/एफ.सी./260

दिनांक: 10.07.2018

सेवा में,

विशेष सचिव (वन),
उत्तर प्रदेश शासन, छठवां तल,
बापू भवन, लखनऊ

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/ROAD/25364/2017

विषय: जनपद मैनपुरी में शिकोहाबाद-मोगांव मार्ग (एस0एच0 84) किमी० चैनैज 21.000 से 43.800 एवं धिरोर बाईपास लम्बाई 6.56 कि०मी० कुल 25.66 से किमी० लम्बाई में 4 लेन मार्ग चौड़ीकरण एवं सड़कीकरण हेतु 24.92755 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4645 माधक वृक्षां एवं पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ:- क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक दिनांक- 04.07.2018 की कार्यवाही (REC Agenda item 30.1 -U.P.)

गहोदय,

उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयवस्तु प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

उक्त प्रकरण को दिनांक- 04.07.2018 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में सम्मिलित किया गया था। क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक (REC) दिनांक- 04.07.2018 की कार्यवाही की प्रति (REC Agenda item 30.1 U.P.) संलग्न है।

अतः क्षेत्रीय सशक्त समिति के द्वारा दी गयी अवलोकन टिप्पणी एवं निर्णय के आलोक में अनुपालना राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित है। उक्त अनुपालना शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय,

(के० के० तिवारी)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
2. निदेशक (आर०ओ०एच०यू०) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
3. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, (वन संरक्षण), वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
4. प्रभागीय वनअधिकारी, कानपुर वन प्रभाग, बहराइच, उ० प्र०।
5. परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी०आई०यू० अलीगढ़ खण्ड उ० प्र०।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
7. आदेश प्रभावली

(के० के० तिवारी)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- 119 /मैनपुरी/25364/2017, दिनांक, लखनऊ, जुलाई 13, 2018

प्रतिलिपि वन संरक्षक, आगरा को इस कार्यालय के पत्रांक-37/मैनपुरी/25364/2017, दिनांक 05.07.2018 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा वांछित बिन्दुवार सूचना एवं तत्सम्बन्धी अभिलेख शीघ्रातिशीघ्र इस कार्यालय को तीन प्रति में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, मैनपुरी को इस कार्यालय के पत्रांक-37/मैनपुरी/25364/2017, दि० 05.07.2018 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा वांछित बिन्दुवार सूचना एवं तत्सम्बन्धी अभिलेख शीघ्रातिशीघ्र अपने वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी०आई०यू०, अलीगढ़ को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।